संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone: 0755 2427091, Fax - 0755 2427097

1575 21/3

क्रमांक /विधि/Misc.R-29 {D-56-1771550}/(धार)/नग्रानि/2023 भोपाल,दिनांक /02/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश.

विषय :– रेरा द्वारा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के संबंध में–श्री विष्णु अग्रवाल,इन्दौर
संदर्भ :– शासन का पत्र क्रमांक 56 / 1771550 / 2023 / 18–5 दिनांक 11.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री विष्णु अग्रवाल, इन्दौर द्वारा शासन के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया गया है कि नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालयों को उनके समक्ष प्रस्तुत अभिन्यास में परिवर्तन किये जाने पर उसे प्रमाणित किये जाने के निर्देश जारी किये जायें ।

इन्दौर कार्यालय द्वारा ग्राम गाजीपुर, जिला धार के खसरा क्रमांक–14 / 1 / 2 कुल रकबा 0.827 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),जिला धार से प्राप्त "शिवाय रेसीडेंसी" का मानचित्र अनुमोदित किये जाने हेतु अभिमत दिनांक 06.05.2022 को दिया गया । आवेदित स्थल को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम, 1973 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित बताया गया जबकि यह भूमि किसी गठित निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं होती है । साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिक (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 अंतर्गत अनुज्ञा लिये जाने की शर्त के साथ परियोजना में 4 भूखण्डों का विलयन कर 2 भूखण्ड बनाये गये ।

उपर्युक्त कार्यवाही के फलस्वरूप मध्य प्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,भोपाल में परियोजना के पंजीयन कराये जाने हेतु मोक्ष डेव्हलपर्स,धार को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ा है ।

अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त त्रुटि के लिए संबंधितगण से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनकी जिम्मेदारी तय की जावे तथा भविष्य में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में प्रस्तुत अभिन्यास में लाल स्याही से कोई परिवर्तन नहीं किया जावे । अपितु अध्यापेक्षित किये गये संशोधन अनुसार अभिन्यास में परिवर्तन करने के लिए आवेदक से अपेक्षा की जावे साथ ही क्षेत्र विवरण के चार्ट से उसका मिलान कर कोई संशोधन नहीं होना प्रमाणित किया जावे । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

आयुक्त/संचालक द्वारा अनुमोदित

(विष्णु खरे)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

1576 21/3

पृ. क्रमांक /विधि/Misc.R-29 {D-56-1771550}/(धार)/नग्रानि/2023 भोपाल,दिनांक /02/2024

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव (परियोजना), मध्य प्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल
2. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

की ओर कृपया सूचनार्थ ।

3. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।

4. वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु.

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश